केंदू पत्ता

[स्रोत: डाउन टू अर्थ]

ओडिशा के गाँव [वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006] के तहत केंदू पत्तों के व्यापार को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिये सरकार द्वारा विनियमन हटाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

- **ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंदु पत्ता उत्पादक राज्य है,** जो प्रतिवर्ष लगभग 4.5–5 लाख क्विंटल उत्पादन करता है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 20% है।

केंदू पत्ता

- **वानस्पतिक नाम:** *□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ (Diospyros melanoxylon) (□□□□□)*
- **सामान्य उपयोग:** बीड़ी (स्थानीय हाथ से बनी सिगरेट) के लिये आवरण
- **आर्थिक महत्त्व:** केंदू पत्ता, जो बाँस और साल बीज की तरह एक राष्ट्रीयकृत उत्पाद है, एक प्रमुख **गैर-लकड़ी वन उत्पाद (NTFP)** है, जिसे प्रायः **"हरा सोना"** कहा जाता है और यह आदिवासियों, महिलाओं और विधवाओं के लिये आय का एक प्रमुख स्रोत है
- **कानूनी स्थिति: वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006** के अनुसार [लघु वनोत्पाद (Minor Forest Produce - MFP)] के अंतर्गत शामिल।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006

- **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006** वन क्षेत्रों में पीढ़ियों से निवास करने के बावजूद **औपचारिक भूमि अधिकारों से वंचित वनवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को वन अधिकारों** की **मान्यता** देता है।
  - यह अधिनियम व्यक्तिगत रूप से खेती योग्य भूमि पर अधिकार, **लघु वनोपज एकत्र करने और बेचने के अधिकार**, पारंपरिक वन उपयोग पर सामुदायिक अधिकार विशेष रूप से **कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG)** के लिये आवास अधिकार, तथा वनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिये **सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकार** प्रदान करता है। वन भूमि के किसी भी प्रकार के अन्य उपयोग के लिये **ग्राम सभा की स्वीकृति** अनिवार्य है।
- वन अधिकार अधिनियम (FRA) **ओडिशा केंदू पत्ता (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम** जैसे विरोधाभासी राज्य कानूनों को रद्द करता है।

और पढ़ें: वन अधिकार अधिनियम, 2006 पर जनजातीय मंत्रालय के निर्देश

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/kendu-leaf-1